फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
1. श्री इन्दरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी उथमण तहसील शिवगंज जिला सिरोही। 2. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम जाति माली निवासी नयाजोयला तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं. ५३ वर्ष **2021**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बरलूट जिला सिरोही के सी. आर. नं. 146 दिनांक 25.11.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 24 जीए 4901 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 25.11.2021 को श्री मदनसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.11.2021 को 06.30 ए.एम पर गाडी नम्बर आरजे 24 जीए 4901 में उसका चालक अवैध पेट्रोल व डीजल बेचने हेतु ड्रमों में भरकर पालडी एम से जावाल की तरफ जा रहा है एवं उक्त गाडी के आगे–आगे एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटर साईकिल से जा रहा है। नाकाबन्दी में उक्त वाहनों को रूकवाया गया, जिसमें पिकअप वाहन चालक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हे[illegible] जोयला तहसील शिवगंज जिला सिरोही [illegible]ईकिल चालक श्री इन्दरसिंह पुत्र [illegible] होना बताया एवं [illegible]प वाहन में भ[illegible] ड्रमों में पेट्रोल भरा होना बताया [illegible] किया गया तो उक्त वाहन में प्लास्टिक के [illegible] रंग के 11 ड्रम प्रत्येक में 200 लीटर व एक 50 लीटर के जरीकन में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। उक्त पेट्रोलियम के परिवहन	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के बारे में चालक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम से अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए भीनमाल की ओर ले जाना बताया। श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम एवं श्री इन्दरसिंह पुत्र सोहनसिंह द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हेमाराम जाति माली निवासी नया जोयला तहसील शिवगंज जिला सिरोही केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी [illegible] सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कार्यकार, सिरोही

Scanned with CamScanner

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना बरलूट के मुकदमा संख्या 146 दिनांक 25.11.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में महिन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 24 जीए 4901 में पेट्रोलियम पदार्थ कुल 2250 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट के एफ आई आर क्रमांक 146 दिनांक 25.11.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप संख्या आरजे 24 जीए 4901 में 2250 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करते हुये पाये जाने पर पेट्रोलियम पदार्थ व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निरतारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registe[illegible] dealer in petroleum products No useful purpose will [illegible] in keeping the tanker [illegible] at police station Held [illegible] truck be rele[illegible] on supurdginama on the [illegible] personal bond of Rs 5[illegible]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible], सिरोही

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 08,00,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना बरलूट को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुगार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner